न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 14/13

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामखिलाडी पुत्र मुरली कौम जाटव निवासी सरानी खेडा
2. एयरटेल टावर

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय

दिनांक – 28.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1344/2 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा किस्म चा.प्र. बाके ग्राम शाहपुरा तहसील धौलपुर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 1344/2 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा पर ऐयर टेल टावर स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सरानी में पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर उपस्थित आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में एयरटेल टावर स्थापित कर अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थीगण को सूचना के बावजूद भी उनके द्वारा सम्परिवर्तन नहीं कराया गया

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner

है। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2067–70 ग्राम शाहपुर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1344/2 पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में एयरटैल का टावर लगा हुआ है एवं इसका संपरिवर्तन नहीं कराया गया है।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1344/2 रकवा 1 वीघ 3 विश्वा ग्राम शाहपुर के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। प्रकरण वर्ष 2013 का है, प्रकरण पेश होने के पश्चात मोबाइल टावरों को स्थापित करने को लेकर नियमों में परिवर्तन हुए हैं। अतः हम प्रकरण को तहसीलदार धौलपुर को वापस भेज कर वर्तमान नियमों के अनुसार जांच कर कार्यवाही कराना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1344/2 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा ग्राम शाहपुर तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा स्थापित टावर के सम्वंध में पुनः जांच करावें एवं अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान नियमों का अनुसरण नहीं करना पाये जाने पर पुनः प्रकरण पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सरानी में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner